"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 फरवरी 2009—फाल्गुन 8, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 फरवरी 2009

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 12-02-2009 से 13-02-2009 तक (02 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 14 एवं 15 फरवरी 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 फरवरी 2009

क्रमांक ई-7/41/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27-12-2008 के श्री मनोहर पाण्डे, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 24-12-2008 से 29-12-2008 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

क्रमांक ई-7/4/2008/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13-01-2009 के द्वारा श्री मुकेश कुमार, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर को दिनाक 19-01-2009 से 31-01-2009 तक (13 दिवस) स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 30 एवं 31 जनवरी, 2009 को स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 17 फरवरी 2009

क्रमांक ई-7/11/2007/1/2.—श्री एस. भारती दासन, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, कबीरधाम को दिनांक 22-01-2009 से 05-02-2009 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. भारती दासन, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, कबीरधाम के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री एस. भारती दासन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. भारती दासन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1179/3 (बी)/18/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 18).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अवध किशोर, आत्मज श्री सियाराम प्रसाद को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1181/3 (बी)/44/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 44).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती श्यामवती मरावी, पति श्री वेद सिंह मरावी को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1183/3 (बी)/48/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 48).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अनिल प्रभात मिंज, आत्मज-श्री जिला मिंज को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1185/3 (बी)/47/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 47).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती सुष्मा लकड़ा, पति-स्व. श्री याकुब लकड़ा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1187/3 (बी)/09/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 09).—राज्य शासन, एतद्द्वारा कु. किरण शुक्ला, आत्मजा-श्री शीतला प्रसाद शुक्ला को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1189/3 (बी)/2/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 2).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड एक एवं छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 8 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, उच्च न्यायालय की अनुशंसा से, एतद्द्वारा, श्री सुधीर कुमार आत्मज-श्री विजय पाल सिंह को उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने के दिनांक से छत्तीसगढ़ उच्चतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम, 2006 के नियम 5 (1) (सी) के अंतर्गत, दो वर्ष की परिवीक्षा पर या आगामी आदेश तक वेतनमान रुपये 16750-400-19150-450-20500 में जिला न्यायाधीश (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1191/3 (बी)/27/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 27).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अविनाश कुमार त्रिपाठी आत्मज-श्री राजेश कुमार को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1193/3 (बी)/25/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 25).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय अग्रवाल, आत्मज-श्री बृजभूषण अग्रवाल को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1195/3 (बी)/53/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 53).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अजय कुमार खाखा, आत्मज-श्री अल्फ्रेड खाखा को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000 250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2009

फा. क्र./1197/3 (बी)/54/2009/21-ब/(मेरिट क्र. 54).—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दिग्विजय सिंह, आत्मज-स्व. श्री भुनेश्वर सिंह को छ. ग. निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश-स्तर) के पद पर अस्थायी रूप से, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, कनिष्ठ वेतनमान रु. 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2009

क्रमांक 1216/डी-457/21-ब/छ. ग./09.—सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1988 का सं. 3) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से एतद्द्वारा सत्र न्यायालय रायपुर को सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के अंतर्गत संपूर्ण राज्य हेतु विशेष न्यायालय गठित करती है.

No. 1216/D-457/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (Central Act No. 3 of 1988), the State Government, in consultation with ;the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby constitute, the Sessions Court Raipur as Special Court under The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 for whole of the State, with immediate effect.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2009

क्रमांक 1218/डी-457/21-ब/छ. ग./09.—सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1987 का सं. 3) की धारा 10 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा श्री संतोष पाण्डे, लोक अभियोजक, रायपुर को तत्काल प्रभाव से रायपुर जिले में सती (निवारण) अधिनियम, 1987 के तहत गठित विशेष न्यायालय का विशेष लोक अभियोजक, नियुक्त करती है.

No. 1218/D-457/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (Central Act No. 3 of 1987), the State Government, hereby appoints Shri Santosh Pandey, Public Prosecutor, Raipur as Special Public Prosecutor for Special Court constituted under The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 as Raipur, with immediate effect.

रायपुर, दिनांक 13 फरवरी 2009

क्रमांक 1220/डी-457/21-ब/छ. ग./09.—सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम 1987 का सं. 3) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से एतद्द्वारा श्री एच. एस. मरकाम, सत्र न्यायाधीश, रायपुर को तत्काल प्रभाव से रायपुर जिले में विशेष न्यायालय, सती (निवारण) अधिनियम, 1987 रायपुर, का न्यायाधीश नियुक्त करती है.

No. 1220/D-457/XXI-B/C. G./09.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (Central Act No. 3 of 1987),the State Government, in concurence with the Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh, hereby appoints Shri H. S. Markam, Session Judge of Raipur, as Judge of the Special Court for the trial of offences under the Commission of Sati (Prevention) Act, 1987, with immediate effect.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 05 फरवरी 2009

शुद्धि-पत्र

क्रमांक/501/बी-8/11-1/2007/14-2.—विभाग का अधिसूचना क्रमांक/399-400/बी-8/11-1/2007/14-2 दिनांक 30-01-2009 की कंडिका 1, 3 एवं 5 (क) को राज्य शासन एतद्द्वारा विलोपित करता है.

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक/572/एफ-14/50/2007/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक-2322/2385/14-1 भोपाल, दिनांक 30-02-1964 द्वारा घोषित बलौदाबाजार, जिला रायपुर के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नांकित स्थान पर बने समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से उप मण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

रायपुर जिले की तहसील बलौदाबाजार ग्राम पनगांव खसरा नं. 2/1 रकबा 2.023 हेक्टेयर तथा ग्राम खपरी खसरा नं. 66 रकबा 1.39 हेक्टेयर तथा खसरा नं. 67 रकबा 2.19 हेक्टेयर राजस्व भूमि का क्षेत्र.

सीमाएं

उत्तर में	-	निजी भूमि एवं शासकीय भूमि.
दक्षिण में	-	श्री सरजू प्रसाद एवं निशा की निजी भूमि.
पूर्व में	-	सड़क, सोनाडीह मार्ग, शासकीय घास भूमि एवं श्री बालाराम की निजी भूमि.
पश्चिम में	-	शासकीय भूमि, निजी भूमि एवं खोरसी नाला.

Raipur, the 10th February 2009

No./572/ F 14/50/2007/14-2.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) and sub-section (1) of section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (24 of 1973) the State Government hereby declares that with effect from the date its publication in the official Gazette, the following places including any structure, enclosures, open palce or locality shall be sub-market yard in the market area of market yard Balodabazar, district Raipur declared vide Departmental Notification No. 2322/2385/14-1 Bhopal Dated 30-02-1964, namely -

PLACE

An area of about 2.023 Hectare land of Revenue, Khasara No. 2/1 at village Pangaon, area about 1.39 Hectare Khasara No. 66 and area about 2.19 Hectare Khasara No. 67 at village Khapri in Balodabazar Tahsil of Raipur District.

BOUNDED

On the North by	-	Private land & Government land.
On the South by	-	Private land of Shri Saraju Prasad & Nisha.
On the East by	-	Road, Sonadeeh way, Government Grass land & Private land of Shri Balaram.
On the West by	-	Government land, Private land and Khorasi nala.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2009

क्रमांक एफ 1-19/खाद्य/2001/29.—छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन एक्ट, 1962 के अध्याय तीन की कंडिका-20 (2) के तहत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेक ढॉड, प्रमुख सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 जनवरी 2009

क्रमांक/क./वा./भू. अ./प्र. क्र. /10/अ- 82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उक्त भूमि के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
रायपुर	रायपुर	रावांभाठा प. ह. नं. 100			महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायपुर.	एप्रोच रोड बनाने हेतु हेतु.
			124/1	0.138		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			124/2	0.154		
			165/1	0.020		
			124/3	0.108		
			124/45	0.045		
			124/46	0.036		
			124/47	0.192		
			124/5	0.421		
			124/43			
			124/6	0.200		
			124/49	0.008		
			124/21	0.330		
			124/25	0.194		
			124/26	0.296		
			124/28	0.198		
			124/34	0.077		
			136/5	1.948		
			158/1	0.004		
			136/13	0.227		
			136/14	0.113		
			137/1	0.259		
			137/3	0.113		
			137/6	0.202		
			137/2	0.053		
			137/4	0.077		
			137/5	0.040		
			137/7	0.016		
			137/8	0.024		
			137/9	0.101		
			138/2	0.312		
		योग	25	5.906		

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ. वि. अ./भू-अर्जन/0/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
रायपुर	पलारी	सीतापार प. ह. नं. 29	599	0.270	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजिव संवर्धन (समोदा निसदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण.
			594/5	0.016		
			601	0.500		
			602/2	0.012		
			650	0.032		
			645	0.040		
			598	0.020		
			600/2	0.080		
			622/1	0.008		
			652	0.606		
			646/2	0.606		
			600/1	0.500		
			642	0.042		
			621/2	0.126		
			615/5, 615/7	0.202		
			615/3	0.202		
			595	0.525		
			615/6	0.180		
			602/1	0.140		
			621/1	0.202		
			640/8	0.242		
			640/9	0.210		
			615/4	0.110		
			600/3	0.300		
			624/2	0.012		
			625	0.324		
			626	0.032		
			624/1	0.251		
			615/1	0.028		
			596	0.125		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			623	0.008		
			641/1	0.248		
			647	0.061		
			646/1	0.004		
			640/7	0.202		
			594/1	0.032		
		योग	36	6.498		

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2008

क्रमांक/अ. वि. अ./भू-अर्जन/04/अ/82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	कानाकोट	खसरा नं.	रक्बा (हेक्टेयर में)	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजिव संवर्धन (समोदा निसदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण.
			(1)	(2)		
			328/5	0.057		
			372	0.08		
			437	0.008		
			328/1 ख	0.06		
			369	0.101		
			434	0.141		
			435	0.202		
			447/1	0.081		
			447/2			
			448			
			433	0.004		
			472/4	0.012		
			470/1	0.485		
			470/2	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			38	0.032		
			454	0.016		
			368/4	0.004		
			467	0.405		
			469/1	0.895		
			471	0.606		
			12/3, 578/1	0.065		
			12/4, 33/1, 33/3, 33/4, 34/1, 35/2, 577/2	0.686		
			16, 17, 18, 19, 33/2, 578/2, 579, 580/1, 580/2, 588	1.610		
			442/1	0.004		
			469/2	0.012		
			436	0.101		
			367/2	0.016		
			370/1	0.08		
			449	0.315		
			377/3	0.101		
			379, 381/2	0.121		
			376/1	0.101		
			451	0.141		
			472/3	0.141		
			468/2	0.182		
			36	0.254		
			12/7, 33/5, 33/6, 33/7, 34/2, 35/2, 577/3	0.089		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			452	0.012		
			328/3	0.405		
			329/4			
			341			
			343			
			373			
			438			
			439			
			440			
			328/2	0.140		
			366/1	0.013		
			368/2	0.117		
			380/2 क	0.110		
			380/2ख			
			450	0.069		
			362/1	0.303		
			363/1			
			364/1			
			365/1			
			378/1	0.028		
			371	0.202		
			374	0.101		
			446/2	0.004		
			468/1	0.485		
		योग	48	9.277		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक 26/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	पेन्ड्रीतराई प. ह. नं. 56	0.597	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग-स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना में वितरक नहर निर्माण.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक 95/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	पिरचाटोला प. ह. नं. 56	1.782	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग-स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना में वितरक नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक 97/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	कामनबोड़ प. ह. नं. 46	2.544	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग-स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना में नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक 103/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	पवनतरा प. ह. नं. 50	0.954	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग-स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रानाला बैरॉज योजना में वितरक नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

क्रमांक 111/अ. वि. अ. (रा.)/भू-अर्जन लि./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	स./लोहारा	भनसुला प. ह. नं. 45	6.257	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग-स./लोहारा जिला-कबीरधाम.	आंशिक डुबान ग्राम भनसुला के पुनर्वास हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-सुरजपुरा (प. ह. नं. 56)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.248 हे.

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	178/1-3	0.205
	178/2	0.205
	230	0.222
	229	0.325
	227	0.179
	233/1	0.145
	226/1	0.126
	226/2	0.11
	226/3	0.185
	226/4	0.231
	224/1	0.072
	224/2	0.072
	224/3	0.171
योग	13	2.248

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैरॉज में नूनछापर वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-मोतिमपुर (प. ह. नं. 49)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 1.018 हे.

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
151/2	0.086
156/6	0.020
150/1	0.057
150/2	0.049
150/3	0.061
150/4	0.013
149/1	0.034
149/3	0.053
151/1	0.210
151/7	0.242
151/8	
151/4	0.064
151/13	0.053
151/11	0.076
योग 14	1.018

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला बैरॉज में अमलीडीह वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 9 जनवरी 2009

प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-स. लोहारा
- (ग) नगर/ग्राम-कामनबोड़ (प. ह. नं. 56)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल - 2.498 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
112/1	0.020
133/1	0.170
112/9	0.040
112/5	0.104
112/7	0.060
112/3	0.086
112/6	0.072
112/2	0.215
112/44	0.160
122/1	0.088
122/4	0.127
121/2	0.020
121/3	0.040
121/5	0.090
119/8	0.061
119/9	0.181
119/12	0.040
119/13	0.135
119/5	0.074
127/23	0.070
127/24	0.125
127/28	

(1)	(2)
75	0.135
133/3	0.215
133/2	0.101
134/1	0.061
132	0.008
योग 26	2.498

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कर्रानाला परियोजनान्तर्गत अमलीडीह वितरक नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर अटेन्डेट्स परीक्षक मंडल
जी. ई. रोड, पो. विवेकानंद आश्रम, रायपुर

क्रमांक मुनिवा/A-13/264/2009

रायपुर दिनांक 20-1-2009

द्वितीय श्रेणी बायलर अटेन्डेन्ट्स परीक्षा दिसम्बर-2006

सफल परीक्षार्थियों की अतिरिक्त सूची

स. क्र.	परीक्षार्थी का नाम	पिता का नाम	स्थान
1.	श्री हेमंत कुमार देवांगन	श्री तेजराम देवांगन	रायपुर

अविनाश भटनागर,
सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) धमतरी

धमतरी, दिनांक 22 जनवरी 2009

क्रमांक 1996 क/मंडी निर्वाचन/27/2009.— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 17-धमतरी के लिए निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया गया है :-

क्रम	नाम	पता	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री गुरूमुख सिंह होरा	बठेना चौक मेनरोड, धमतरी	मंडी अधिनियम की धारा 11ग अनुसार विधान सभा सदस्य.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री रामेश्वर चंद्राकर	ग्राम उमरदा, पोस्ट-परखंदा तहसील - कुरूद, जिला-धमतरी.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक धमतरी.

धमतरी, दिनांक 22 जनवरी 2009

क्रमांक 1999 क/मंडी निर्वाचन/27/2009.— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 18-कुरूद के लिए निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया गया है :-

क्रम (1)	नाम (2)	पता (3)	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है (4)
1.	श्री लेखराम साहू	ग्राम-पोस्ट- सिलौटी, तहसील-कुरूद जिला-धमतरी.	मंडी अधिनियम की धारा 11ग अनुसार विधान सभा सदस्य.
2.	श्री रामेश्वर चंद्राकर	ग्राम-उमरदा, पोस्ट-परखंदा तहसील - कुरूद, जिला-धमतरी.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, धमतरी.
3.	श्री चैतूराम साहू	ग्राम - मुरा, पोस्ट-दरबा तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी.	सहकारी विपणन संस्था, कुरूद

धमतरी, दिनांक 22 जनवरी 2009

क्रमांक 2001 क/मंडी निर्वाचन/27/2009.— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 19-नगरी के लिए निम्नानुसार विशेष आमंत्रित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया गया है :-

क्रम (1)	नाम (2)	पता (3)	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है (4)
1.	श्रीमति अंबिका मरकाम	ग्राम-पोस्ट- गट्टासिल्ली, तहसील-नगरी जिला-धमतरी.	मंडी अधिनियम की धारा 11ग अनुसार विधान सभा सदस्य.
2.	श्रीमति सुदामी बाई	ग्राम-पोस्ट बटनहर्रा, तहसील-नगरी जिला-धमतरी.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, धमतरी.

धमतरी, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक 2011 क/मंडी निर्वाचन/27/2009.— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 17-धमतरी के लिए निम्नानुसार नाम-निर्दिष्ट विशेष आमंत्रित सदस्य श्री चंदूलाल साहू का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनके स्थान पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा निम्नानुसार सदस्य को नाम-निर्दिष्ट किया गया है :-

क्रम (1)	नाम (2)	पता (3)	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है (4)
1.	श्री दिनेश चंद्राकर	ग्राम- बोदाछापर, विकासखंड-धमतरी तहसील एवं जिला-धमतरी (छ. ग.)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर

धमतरी, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक 2007 क/मंडी निर्वाचन/27/2009.— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 18-कुरूद के लिए निम्नानुसार नाम-निर्दिष्ट विशेष आमंत्रित सदस्य श्री श्याम बैस का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनके स्थान पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा निम्नानुसार सदस्य को नाम-निर्दिष्ट किया गया है :-

क्रम (1)	नाम (2)	पता (3)	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है (4)
1.	श्री प्रवीण चन्द्राकर	मुकाम - पोस्ट - कुरूद, तहसील-कुरूद जिला-धमतरी (छ. ग.)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर

धमतरी, दिनांक 23 जनवरी 2009

क्रमांक 2009 क/मंडी निर्वाचन/27/2009.— एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मंडी अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कृषि उपज मंडी समिति 19-नगरी के लिए निम्नानुसार नाम - निर्दिष्ट विशेष आमंत्रित सदस्य श्री गोपाल सिंह ध्रुव का कार्यकाल समाप्त होने के कारण उनके स्थान पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा निम्नानुसार सदस्य को नाम - निर्दिष्ट किया गया है :-

क्रम (1)	नाम (2)	पता (3)	विभाग/संस्था का नाम जिनके द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया है (4)
1.	श्री मानसिंह ध्रुव	ग्राम - निर्राबेड़ा, पोस्ट-फरसिया तहसील - नगरी जिला-धमतरी (छ. ग.)	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, रायपुर

आर. पी. एस. त्यागी,
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मंडी निर्वाचन)